फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

चेतराम — विपक्षी — कन्हैयालाल

मुकदमा — प्र.प. — पत्रावली संख्या 34/20 — सन्

क्र	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	19.8.25 पत्रावली प्रार्थी बारिश एवं अधिवक्ता उपस्थित होने पर सिलसिले से तलब होकर पेश हुई। प्रकरण के मूलवाद में 0 22 R 3 स्वीकार होने से हस्तगत प्रकरण में भी स्वीकार किया जाता है। प्रकरण के मूल वाद में वाद विड्रो का प्रा.पत्र स्वीकार होने से हस्तगत प्रा.पत्र में भी विड्रो प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रा.पत्र प्रार्थी 1/2 वशेष बारिश की तरफ से उनके अधिवक्ता द्वारा विड्रो किए जाने से इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (ए. साई कृष्ण) IAS उप खण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज.)	प्रोपराइटर भी (प्रार्थी) वोट से प्रकरण विड्रो करता है